निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 123/2012 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये लियाकत अली खान,अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी जयपुर।

प्रार्थी

बनाम–

श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री रेवड़मल, जाति अग्रवाल, निवासी डी–59, महेश नगर, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 3 घरेलू सिलेण्डर 14.2 कि.ग्रा. (2 आई.ओ.सी. एवं 1 बी.पी.सी.) तथा 1 छोटा नॉन आई.एस.आई. 5 कि.ग्रा. का गैस सिलेण्डर तथा रिफलिंग के काम आने वाले उपकरण 1 पेचकस, 1 बांसूरी, 1 ऑटो एल.पी.जी. वेपोराईट इक्यूपमेन्ट मय एल.पी.जी. 19.5 किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 10-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.11.2012 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग व रिफलिंग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री रेवड़मल, जाति अग्रवाल, निवासी डी–59, महेश नगर, जयपुर का निरीक्षण किया गया। मौके पर दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) 2 आई.ओ.सी. एवं 1 बी.पी.सी. तथा 1 छोटा नॉन आई.एस.आई. 5 कि.ग्रा. का गैस सिलेण्डर तथा रिफलिंग के काम आने वाले उपकरण 1 पेचकस, 1 बांसूरी, 1 ऑटो एल. पी.जी. वेपोराईट इक्यूपमेन्ट मय एल.पी.जी. 19.5 किलोग्राम मिले। मौके पर श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री रेवडराम उपस्थित मिले। जिन्होने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। अप्रार्थी द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात, एसवी, बिल, पासबुक आदि पेश नहीं किये गये तथा ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया तथा ना ही उसने गैस रिफलिंग कोई परमिट अथवा लाईसेन्स प्रस्तुत किया गया। मौके पर त्रिवेणी गैस सर्विस, जयपुर के मैनेजर श्री हरि चौधरी को बुलाकर उक्त सिलेण्डरों का तौल करवाया गया जिस पर उक्त सिलेण्डरों में 19.03 किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पाई गई तथा एल.पी.जी. गैस होने की पुष्टि की गई। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक व रिफलिंग में दुरूपयोग कर कालाबाजारी में घरेलू सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) 2 आई.ओ.सी. एवं 1 बी.पी.सी. तथा 1 छोटा नॉन

जिला कलक्टर
जयपुर

आई.एस.आई. 5 कि.ग्रा. का गैस सिलेण्डर तथा रिफ़लिंग के काम आने वाले उपकरण 1 पेचकस, 1 बांसूरी, 1 ऑटो एल.पी.जी. वेपोराईट इक्यूपमेन्ट मय एल.पी.जी. 19.5 किलोग्राम को कब्जे राज लिया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से त्रिवेणी गैस सर्विस के प्रतिनिधि श्री हरि चौधरी की सुपुदर्गी में दिये गये। अतः जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) 2 आई.ओ.सी. एवं 1 बी.पी.सी. तथा 1 छोटा नॉन आई.एस.आई. 5 कि.ग्रा. का गैस सिलेण्डर तथा रिफलिंग के काम आने वाले उपकरण 1 पेचकस, 1 बांसूरी, 1 ऑटो एल.पी.जी. वेपोराईट इक्यूपमेन्ट मय एल.पी.जी. 19.5 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 17.12.2012 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स व अन्य उपकरणो का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से श्री ओमप्रकाश सिंघल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा जवाब हेतु अवसर चाहा। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी को अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि घरेलू गैस सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोंग व रिफलिंग करने की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) 2 आई.ओ.सी. एवं 1 बी.पी.सी. तथा 1 छोटा नॉन आई.एस.आई. 5 कि.ग्रा. का गैस सिलेण्डर तथा रिफलिंग के काम आने वाले उपकरण 1 पेचकस, 1 बांसूरी, 1 ऑटो एल.पी.जी. वेपोराईट इक्यूपमेन्ट मय एल.पी.जी. 19.5 किलोग्राम मिले। अप्रार्थी द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात, एसवी, बिल, पासबुक आदि पेश नहीं किये गये तथा ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया तथा ना ही उसने गैस रिफलिंग कोई परमिट अथवा लाईसेन्स प्रस्तुत किया गया। धरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) 2 आई.ओ.सी. एवं 1 बी.पी.सी. तथा 1 छोटा नॉन आई.एस.आई. 5 कि.ग्रा. का गैस सिलेण्डर तथा रिफलिंग के काम आने वाले उपकरण 1 पेचकस, 1 बांसूरी, 1 ऑटो एल.पी.जी. वेपोराईट इक्यूपमेन्ट मय एल.पी.जी. 19.5 किलोग्राम को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 30.11.2012 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. धरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। मौके पर दौराने निरीक्षण घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) 2 आई.ओ.सी. एवं 1 बी.पी.सी. तथा 1 छोटा नॉन आई.एस.आई. 5 कि.ग्रा. का गैस सिलेण्डर तथा रिफलिंग के काम आने वाले उपकरण 1 पेचकस, 1 बांसूरी, 1 ऑटो एल. पी.जी. वेपोराईट इक्यूपमेन्ट मय एल.पी.जी. 19.5 किलोग्राम मिले है जिससे घरेलू गैस का वाणिज्यक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। अप्रार्थी द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात, एसवी, बिल, पासबुक आदि पेश नहीं किये गये तथा ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया तथा ना ही उसने गैस रिफलिंग कोई अनुज्ञापत्र प्रस्तुत किया। इस प्रकार जांच कार्यवाही से स्पष्ट हुआ है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञापत्र घरेलू गैस सिलेण्डरर्स में से अवैध गैस अन्तरण यंत्र बांसूरी के जरिये एल.पी.जी. गैस अन्तरण का कार्य किया जाता है जो द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। अतः जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) 2 आई.ओ. सी. एवं 1 बी.पी.सी. तथा 1 छोटा नॉन आई.एस.आई. 5 कि.ग्रा. का गैस सिलेण्डर तथा रिफलिंग के काम आने वाले उपकरण 1 पेचकस, 1 बांसूरी, 1 ऑटो एल.पी.जी. वेपोराईट इक्यूपमेन्ट मय एल.पी.जी. 19.5 किलोग्राम को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) 2 आई.ओ.सी. एवं 1 बी.पी.सी. तथा 1 छोटा नॉन आई.एस.आई. 5 कि.ग्रा. का गैस सिलेण्डर तथा रिफलिंग के काम आने वाले उपकरण 1 पेचकस, 1 बांसूरी, 1 ऑटो एल.पी.जी. वेपोराईट इक्यूपमेन्ट मय एल.पी.जी. 19.5 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 17.12.2012 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
9. निर्णय आज दिनांक 10-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर